उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

पात्रता- वह बच्चे जिन्होंने कोविड 19 के कारण अपने दोनों माता-पिता अथवा यदि उनमें से एक ही जीवित थे तो उन्हें अथवा यदि दोनों माता-पिता नहीं हैं तो Legal Guardian को खो दिया हो और जो अनाथ हो गए हों। इस योजना में ऐसे बच्चों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने कोविड 19 के कारण अपने माता-पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावक को खो दिया हो।

क्रमांक	मद	प्रदेश सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही
1	Guardian/Care Taker को अनाथ बच्चे की देखभाल हेतु वित्तीय सहायता	प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु रूपये 4000 प्रति बच्चे की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी।
2	10 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनकी Guardian/Extended Family नहीं है	ऐसे सभी बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से अथवा अपने संसाधनों से संचालित राजकीय बाल गृह (शिशु) में आवासित किया जाएगा तथा उनकी देखभाल की जाएगी। प्रदेश में वर्तमान में 0 से 10 वर्ष की आयु हेतु 5 राजकीय बाल गृह (शिशु) संचालित हैं। मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, एवं रामपुर।
3	अवयस्क बच्चियों की देखभाल व उनकी पढ़ाई-लिखाई	ऐसी अवयस्क बिच्चयों को भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (आवासीय) में अथवा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह (बालिका) (वर्तमान में प्रदेश में 13 ऐसे बाल गृह संचालित हैं) में अथवा प्रदेश में स्थापित किए जा रहे 18 अटल आवासीय विद्यालयों में रखकर उनकी देख-भाल की जाएगी।
4	बालिकाओं की शादी हेतु सहायता	प्रदेश सरकार ऐसी सभी बालिकाओं की शादी हेतु रूपये 1,01,000 की राशि उपलब्ध कराएगी।
5	स्कूल में पढ़ने वाले अथवा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले ऐसे सभी बच्चों को Tablet/Laptop दिया जाना	प्रदेश सरकार स्कूल अथवा कालेज में पढ़ रहे अथवा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे ऐसे सभी बच्चों को Tablet/Laptop की सुविधा उपलब्ध कराएगी।